क्रमांक- 92

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

सोमवार, दिनांक 21 अगस्त, 2017 (श्रावण 30, 1939)

निर्वाचन क्षेत्र क्र.209-डॉ.अम्बेडकर नगर महू से निर्वाचित सदस्य, श्री कैलाश विजयवर्गीय को बंदी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

सहायक पुलिस कमिश्नर, केन्द्रीय डिविजन, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय को संबोधित पत्र दिनांक 07.08.2017, जो इस सचिवालय में दिनांक 11.08.2017 को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार है :-

'' मुझे आपको यह सूचना देनी है कि दं.प्र.सं. की धारा 151 के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री कैलाश विजयवर्गीय को (यथास्थिति, बंदीकरण या निरोध के कारण) निरुद्ध कर लिया जाये.

तद्नुसार मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री कैलाश विजयवर्गीय को दिनांक 25.05.2017 को बंदी कर बाउ बाजार, पुलिस स्टेशन, कोलकाता में रखा जाकर एडीशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कोलकाता के द्वारा दिनांक 26.5.2017 को निर्मुक्त कर दिया गया है. ''

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.